

23/8/24

पहायकी खास प्रेसीडेंसी की गडी आपति  
 हा.पत्र दिनांक 18/3/24 पर उकापक  
 को बुना गया। अधि. वस्ता उभय  
 पक्ष ने No 683222202 किया  
 आपति में प्रार्थी डा। राजकिशोर को  
 व डा।2 बलवीर सिंह ने कथन  
 किया कि विभाजन प्रस्ताव की छम  
 ल. 17 पर दर्ज प्रतिम कोर के नाम  
 दर्ज रकबा की वसियत मिला. न. 5/2  
 जो वास्तव में हरनेक सिंह के नाम की  
 वसियत खुशप्रीत सिंह व बलवीर  
 सिंह व शेष रकबा 1.898 जो प्रीत  
 कोर के नाम दर्ज है की वसियत  
 प्रति द. डा। व डा।2 के पक्ष में  
 व.दिव की गडी है इसलिए मुताबिक  
 वसियत वाप डिह्री कर विभाजन मुताबिक  
 देखा डिह्री किया जाये। अधि-वादी  
 ने रज विंदू पर सहमति व्यस्त की  
 है अधि वस्ता प्रतीवादी थीट सिंह  
 द्वारा हस्त सुनयन पर सहमति व्यस्त  
 की। हा.पत्र खीकाट कर प्रीत कोर  
 व हरनेक सिंह के नाम विभाजन में  
 प्राप्त रकबा मुताबिक वसियत  
 व शेष मुताबिक विभाजन प्रस्ताव  
 के डिह्री किया जाला व प्रार्थी डिह्री  
 जारी है। चिह्नित निर्णय अक्षर  
 लिखवाया जाकर प्रथे इजलास  
 हुआ गया। पत्रा. दालिब दफत  
 की जाये।

No objection  
 [Signature]  
 [Signature]

[Signature]  
 सहायक कलेक्टर  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 इन्दौर

